रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227610 CG-DL-E-15062021-227610

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2169] No. 2169] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 15, 2021/ज्येष्ठ 25, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 15, 2021/JYAISTHA 25, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

का.आ. 2333.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में,-
 - (i) खंड 20 (सी) में, उप-खंड (5) में, "इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2022 से पहले", शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे।

3239 GI/2021 (1)

(ii) 'प्रारूप छ -3' में "....अगस्त, 2022 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "22 फरवरी, 2023 तक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे।

[फा. सं. 3-14/2017 फर्ट लॉ]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र स. का. नि. संख्या 758 (अ)। तारीख 25 सितंबर, 1985 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. 2126 (अ). तारीख 1 जून, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 14th June, 2021

- **S.O. 2333.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-
- 1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order, 2021.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985,-
 - (i) In clause 20 (c), in sub-clause (5), for the words "within a period of six months from the date of publication of this order", the words, figure and letters "within 31st March, 2022" shall be substituted.
 - (ii) In 'Form G-3, for the words, figures and letters "uptoday of August, 2022", the words, figures and letters "upto 22nd day of February, 2023" shall be substituted.

[F. No. 3-14/2017 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India vide G.S.R. number 758 (E). dated the 25th September, 1985 and last amended *vide* S.O.2126 (E) dated the 1st June, 2021.